



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
162/2024

तारीख दायर
08/10/2024

तारीख फैसला
29/07/2025

1. राकेश पुत्र पांचुराम जाति बलाई निवासी ग्राम नारदपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।

वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र पांचुराम
2. अशोक पुत्र बलदेव
3. कल्याण सहाय पुत्र नाथ्या
4. कालुराम पुत्र पांचुराम
5. जगदीश पुत्र बोदूराम
6. नैनूराम पुत्र नाथ्या
7. भीली पत्नि स्व० पांचुराम
8. मंगलराम पुत्र नाथ्या
9. मुनी देवी पत्नि बलदेव
10. राजेन्द्र पुत्र बलदेव
11. लालाराम पुत्र बोदूराम
12. विनोद पुत्र बलदेव
13. खेमचन्द पुत्र स्व० श्रवणलाल
14. नरसी पुत्र स्व० श्रवणलाल
15. शान्ति पत्नि स्व० श्रवणलाल
समस्त जाति बलाई समस्त निवासी ग्राम नारदपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :- वकील वादी।

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट

:- निर्णय :-

वादीगण की ओर से एड० श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 0.8100 है०, खसरा नम्बर 192 रकबा 1.5800 है०, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.4300 है०, खसरा नम्बर 213 रकबा 1.1300 है०, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 217 रकबा 1.1300 है० कुल किता 6 कुल रकबा 4.2300 है० वाकें ग्राम नारदपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नहीं कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस-नरस के अनुसार हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 28.01.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी



जमवारामगढ ने कुरैजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट पर वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट पर वकील उभय पक्षों ने सहमति दी।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम नारदपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
अशोक पुत्र बलदेव हिस्सा 1/96 जाति बलाई सा०देह खातेदार, कल्याण सहाय पुत्र नाथ्या हि० 1/24 जाति बलाई सा०देह खातेदार, कालूराम पुत्र पांचूराम हि० 1/16 जाति बलाई सा०देह खातेदार, जगदीश पुत्र बोदूराम हि० 1/4 जाति बलाई सा०देह खातेदार, नैनूराम पुत्र नाथ्या हि० 1/24 जाति बलाई सा०देह खातेदार, भोली पत्नि स्व० पांचूराम हि० 1/16 जाति बलाई सा०देह खातेदार, मुकेश पुत्र पांचूराम हि० 1/16 जाति बलाई सा०देह खातेदार, मंगलाराम पुत्र नाथ्या हि० 1/24 जाति बलाई सा०देह खातेदार, मुगी देवी पत्नि स्व० बलदेव हि० 1/96 जाति बलाई सा०देह खातेदार, राकेश पुत्र पांचूराम हि० 1/16 जाति बलाई सा०देह खातेदार, राजेन्द्र पुत्र बलदेव हिस्सा 1/96 जाति बलाई सा०देह खातेदार, लालाराम पुत्र बोदूराम हि० 1/4 जाति बलाई सा०देह खातेदार, विनोद पुत्र बलदेव हि० 1/96 जाति बलाई सा०देह खातेदार, श्रवणलाल पुत्र नाथ्या हि० 1/24 जाति बलाई सा०देह खातेदार।	119 192 208 213 216 217	0.81 1.58 0.43 0.27 0.01 1.13	चाही 1 बा० ए चाही 3 चाही 3 गै.मु.चाह चाही 3	—
योग	किता 6	4.23	—	—

—: प्रस्तावित :-

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
राकेश पुत्र पांचू राम- हिस्सा सम्पूर्ण जाति बलाई सा०देह खातेदार	119/5 213/2	0.0488 0.0675	चाही 1 चाही 3	—
योग	किता 2	0.1163	—	—
मुकेश पुत्र पांचूराम हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा०देह खातेदार	119/3 213/4	0.0488 0.0675	चाही 1 चाही 3	—
योग	किता 2	0.1163	—	—
कालूराम पुत्र पांचूराम हिस्सा पूर्ण जाति सा०देह खातेदार	119/4 213/1	0.0487 0.0675	चाही 1 चाही 3	—
योग	किता 2	0.1162	—	—
भोली पत्नि स्व०, पांचूराम हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा०देह खातेदार	119/6 213/3	0.0482 0.0675	चाही 1 चाही 4	—
योग	किता 2	0.1162	—	—
जगदीश पुत्र बोदूराम हि० 1/2 पूर्ण जाति बलाई सा०देह खातेदार, लालाराम पुत्र बोदूराम हि० 1/2	119/1 208/2	0.39 0.36	चाही 1 चाही 3	—

सपयरण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-ज



जाति बलाई सा0देह खातेदार	217/1	0.5450	चाही 3	
योग	किता 3	1.2950	—	—
कल्याण सहाय पुत्र नाथ्या हि0 1/6 जाति बलाई सा0देह खातेदार, प्रभाती देवी पत्नी स्व0 नाथ्या हि0 1/6 जाति बलाई सा0देह खातेदार, मंगलाराम पुत्र नाथ्या हि0 1/6 जाति बलाई सा0देह खातेदार, श्रवणलाल पुत्र नाथ्या हि0 1/6 जाति बलाई सा0देह खातेदार, नैनूराम पुत्र नाथ्या हि0 1/6 जाति बलाई सा0देह खातेदार, अशोक कुमार पुत्र बलदेव हि0 1/24 जाति बलाई सा0देह खातेदार, मुंगी देवी पत्नी स्व0 बलदेव हि0 1/24 जाति बलाई सा0देह खातेदार, राजेन्द्र पुत्र बलदेव हि0 1/24 जाति बलाई सा0देह खातेदार, विनोद पुत्र बलदेव हि0 1/24 जाति बलाई सा0देह खातेदार	119/2 208/1 217/2 217/4	0.1950 0.0700 0.2425 0.1400	चाही 1 चाही 3 चाही 3 चाही 3	—
योग	किता 4	0.6475	—	—
कालूराम पुत्र पांचू राम हि0 1/4 जाति बलाई सा0देह खातेदार, मुकेश पुत्र पांचूराम हि0 1/4 जाति बलाई सा0देह खातेदार, राकेश पुत्र पांचूराम हि0 1/4 जाति बलाई सा0देह खातेदार, भोली देवी पत्नी पांचूराम हि0 1/4 जाति बलाई सा0देह खातेदार।	217/3	0.1825	चाही 3	—
योग	किता 1	0.1825	—	—
शामलाती	119/7 192 217/5 216	0.03 1.58 0.02 0.01	— — — —	— — — —
योग	किता 4	1.64	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही गदीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा इस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


जयपुर जिला न्यायाधीश
जयपुर जिला न्यायालय

डिक्री मुकदमा इबतार्ई

(रुल्स 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

राकेश

बनाम

मुकेश वर्गो

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर - 162/2024

मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री पुष्पेन्द्र शर्मा अधिकता गेण पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि नारदपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के मध्य मुताबिक बटवारा र्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
अशोक पुत्र बलदेव हिस्सा 1/96 जाति बलाई सा0देह खातेदार, कल्याण सहाय पुत्र नाथ्या हि0 1/24 जाति बलाई सा0देह खातेदार, कालूराम पुत्र पांचूराम हि0 1/16 जाति बलाई सा0देह खातेदार, जगदीश पुत्र बोदूराम हि0 1/4 जाति बलाई सा0देह खातेदार, नैरूराम पुत्र नाथ्या हि0 1/24 जाति बलाई सा0देह खातेदार, भोली पत्नि स्व0 पांचूराम हि0 1/16 जाति बलाई सा0देह खातेदार, मुकेश पुत्र पांचूराम हि0 1/16 जाति बलाई सा0देह खातेदार, मंगलाराम पुत्र नाथ्या ह0 1/24 जाति बलाई सा0देह खातेदार, मुगी देवी पत्नि स्व0 बलदेव हि0 1/96 जाति बलाई सा0देह खातेदार, राकेश पुत्र पांचूराम हि0 1/16 जाति बलाई सा0देह खातेदार, राजेन्द्र पुत्र बलदेव हिस्सा 1/96 जाति बलाई सा0देह खातेदार, लालाराम पुत्र बोदूराम हि0 1/4 जाति बलाई सा0देह खातेदार, विनोद पुत्र बलदेव हि0 1/96 जाति बलाई सा0देह खातेदार, श्रवणलाल पुत्र नाथ्या हि0 1/24 जाति बलाई सा0देह खातेदार।	119 192 208 213 216 217	0.81 1.58 0.43 0.27 0.01 1.13	चाही 1 बा0 ए चाही 3 चाही 3 मै.मु.चाह चाही 3	—
योग	किता 6	4.23	—	—

—: प्रस्तावित :-

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
राकेश पुत्र पांचू राम हिस्सा सम्पूर्ण जाति बलाई सा0देह खातेदार	119/5 213/2	0.0488 0.0675	चाही 1 चाही 3	—
योग	किता 2	0.1163	—	—
मुकेश पुत्र पांचूराम हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा0देह खातेदार	119/3 213/4	0.0488 0.0675	चाही 1 चाही 3	—
योग	किता 2	0.1163	—	—
कालूराम पुत्र पांचूराम हिस्सा पूर्ण जाति सा0देह खातेदार	119/4 213/1	0.0487 0.0675	चाही 1 चाही 3	—

भोली पत्नि स्व० पांचूराम हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा०देह खातेदार	योग	किता 2	0.1162	-	-
		119/6	0.0482	चाही 1	-
		213/3	0.0675	चाही 4	-
जगदीश पुत्र बीरूराम हि० 1/2 पूर्ण जाति बलाई सा०देह खातेदार, लालाराम पुत्र बीरूराम हि० 1/2 जाति बलाई सा०देह खातेदार	योग	किता 2	0.1162	-	-
		119/1	0.39	चाही 1	-
		208/2	0.36	चाही 3	-
		217/1	0.5450	चाही 3	-
कल्याण सहाय पुत्र नाथ्या हि० 1/6 जाति बलाई सा०देह खातेदार, प्रभाती देवी पत्नी स्व० नाथ्या हि० 1/6 जाति बलाई सा०देह खातेदार, मंगलाराम पुत्र नाथ्या हि० 1/6 जाति बलाई सा०देह खातेदार, श्रवणलाल पुत्र नाथ्या हि० 1/6 जाति बलाई सा०देह खातेदार, नैनूराम पुत्र नाथ्या हि० 1/6 जाति बलाई सा०देह खातेदार, अशोक कुमार पुत्र बलदेव हि० 1/24 जाति बलाई सा०देह खातेदार, मुंगी देवी पत्नि स्व० बलदेव हि० 1/24 जाति बलाई सा०देह खातेदार, राजेन्द्र पुत्र बलदेव हि० 1/24 जाति बलाई सा०देह खातेदार, विनोद पुत्र बलदेव हि० 1/24 जाति बलाई सा०देह खातेदार	योग	किता 4	0.6475	-	-
		217/3	0.1825	चाही 3	-
कालूराम पुत्र पांचू राम हि० 1/4 जाति बलाई सा०देह खातेदार, मुकेश पुत्र पांचूराम हि० 1/4 जाति बलाई सा०देह खातेदार, राकेश पुत्र पांचूराम हि० 1/4 जाति बलाई सा०देह खातेदार, भोली देवी पत्नि पांचूराम हि० 1/4 जाति बलाई सा०देह खातेदार।	योग	किता 1	0.1825	-	-
		119/7	0.03	-	-
		192	1.58	-	-
		217/5	0.02	-	-
		216	0.01	-	-
शामलाती	योग	किता 4	1.64	-	-

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेटन्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुकम इतिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पच्ची डिक्री आज दिनांक 29.07.2025 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

मुदई	मिलान स्टाप अर्जी दावा	पैसे	मुदालयह	स्टाम्प अर्जी दावा	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	रुपये		स्टाम्प वकालतनामा			
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत			
महन्तानावकील			महन्तानावकील			
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान			
बबतहजराय हुकमनामा			बबतहजराय हुकमनामा			
मुतु			मुतु			
मिलान			मिलान			


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18-21)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0:- 162 / 2024 दायर दिनांक 08.10.2024

राकेश बनारस मुकेश वर्ग0
(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)
प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 28.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए. एस. व हाजिर श्री पुष्पेन्द्र शर्मा वकील वादीगण निजातिब मुदालय रूबरू बहाजिरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नारदपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि के खसरा नम्बर 119 रकबा 0.8100 है0, खसरा नम्बर 192 रकबा 1.5800 है0, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.4300 है, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 1.1300 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.2300 है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात् सरस-नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा ऋद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग-अलग रंग भरकर कुरैजात के प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 28/01/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा	
मुदई	रूपये	मुदई	रूपये
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वजूह सबूत		स्टाम्प वजूह सबूत	
महन्ताना वकील		महन्ताना वकील	
खर्चा गवहान		खर्चा गवहान	
बबतहजराय हुक्मनामा		बबतहजराय हुक्मनामा	
मुत		मुत	
मिलान		मिलान	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर